प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 26.02.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ आयोजित कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 26.02.2019 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

1. जानकारी प्राप्त हुई कि SPUR (तत्कालीन) के कार्यालय कक्ष में कचरा/अनुपयोगी सामग्री रखा हुआ है, जिसके कारण विभाग में पदस्थापित परियोजना पदाधिकारियों को उक्त कक्ष में बैठने में कठिनाई हो रही है। निर्देश दिया गया कि उक्त कक्ष की आज ही सफाई कराकर परियोजना पदाधिकारियों को बैठने की व्यवस्था की जाय। **(अनुपालन :– श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव)**

2. संबद्ध वरीय पदाधिकारियों द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस को पूर्वाह्न में परियोजना पदाधिकारियों को उस दिन किये जाने वाले कार्यों का दायित्व देंगे और उसी दिन अपराह्न में वरीय पदाधिकारियों द्वारा परियोजना पदाधिकारी–सह–उप निदेशक के साथ कार्यों की समीक्षा करेंगे।
(अनुपालन :– सभी संबद्ध वरीय पदाधिकारी)

3. नगर निकायों के महापौर/अध्यक्ष का सीधे निर्वाचन एवं महापौर/अध्यक्ष का पार्टी आधारित चुनाव तथा आवश्यकतानुसार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के बिन्दुओं के संबंध में DMI से प्रस्ताव प्राप्त किया जाय। **(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

4. सभी विभागीय वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम में यदि कहीं कोई गड़बड़ी परिलक्षित होती है और उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो उसे नोट कर लें और इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर बैठक आयोजित कर निर्णय लें। **(अनुपालन :– सभी वरीय पदाधिकारी)**

5. बैठक में प्रतिवेदित हुआ कि कई राज्यों में निकाय कर्मियों का स्थानांतरण नगरपालिका निदेशालय (प्रशासन) के स्तर से किये जाने का प्रावधान है, जबकि इन कर्मियों का नियुक्ति प्राधिकार नगर निकाय ही है। निर्देश दिया गया कि जिन राज्यों में इस तरह का प्रावधान लागू है, उनका नियमावली प्राप्त कर, समीक्षा करते हुए संचिका में उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)**

6. Property Tax के outsourcing का RFP एक सप्ताह के अंदर प्रकाशित करने हेतु पिछले एक माह पूर्व आयोजित बैठक में ही निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि इस माह के अंत तक अनिवार्य रूप से RFP प्रकाशित कराया जाय।
(अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

7. विभाग में वर्तमान में BSNL कंपनी का CUG मोबाईल नं० का उपयोग किया जा रहा है, जिसका मासिक विपत्र का दर काफी अधिक है। वर्तमान में कई मोबाईल कंपनियों द्वारा लगभग 1500/–रूपये वार्षिक दर पर इंटरनेट सहित unlimited call/messages की सुविधा दी जा रही है। इस संबंध में निर्देश दिया गया कि विभाग में उपयोग किये जा रहे BSNL कंपनी के CUG मोबाईल नं० को बंद करने की कार्रवाई की जाय।

   साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि विभागीय पदाधिकारियों एवं नगर निकायों के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों को 1500/–रूपये (पंद्रह सौ रूपये) वार्षिक मोबाईल विपत्र के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। इस हेतु सभी विभागीय पदाधिकारी तथा नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी अपना निजी मोबाईल नं० रखेंगे। नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा नगर निकाय निधि से निर्धारित सीमा तक मोबाईल विपत्र के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
   (अनुपालन :– श्री संजय कुमार, विशेष सचिव–सह–निदेशक, बुडा)

8. मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजनांतर्गत पुरस्कार हेतु नगर निकायों का चयन कर संचिका में आज ही प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।
(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

9. World Bank के माध्यम से बुडको के अभियंताओं एवं संवेदकों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु बुडको को पत्र भेजा जाय।
(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

10. नगर निकायों के पदाधिकारियों / कर्मियों / जन प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन हेतु Integrated Capacity Building के तहत केन्द्रीय योजनाओं यथा AMRUT, DAY-NULM, SBM, HFA, PMAY, HRIDAY एवं Smart City Mission के लिए 3—4 संस्थाओं के साथ MOU किये जाने हेतु प्रशाखा—3 की संचिका में माननीय मंत्री का आदेश प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक उन संस्थाओं के साथ MOU किये जाने की कार्रवाई नहीं हुई है। निर्देश दिया गया कि इन संस्थाओं के साथ MOU किये जाने की कार्रवाई एक सप्ताह के अंदर पूर्ण की जाय।
(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—3)

11. SUH Committee की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाय।
(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

12. गैर—तकनीकी कर्मियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव बुडको से शीघ्र प्राप्त किया जाय। इन पदों की समीक्षा श्री अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक एवं श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से की जाय और एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जाय।
(अनुपालन :— श्री अरविन्द कुमार झा, स०नि० / श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)

13. TCPO के पूर्व से स्वीकृत पदों यथा आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर एवं कनीय अभियंता के पदों को अंगीकृत कर रोस्टर क्लियरेंस करते हुए इन पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जाय। यह कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर लिया जाय।
(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी—1)

14. पिछली बैठक में जानकारी दी गयी थी कि नगर निकायों में समूह 'ग' के कर्मियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किये जाने संबंधी सेवा नियमावली प्रारूप तैयार कर लिया गया है। निर्देश दिया गया कि नियमावली प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन हेतु संचिका में अतिशीघ्र उपस्थापित की जाय।
(अनुपालन :— श्री संजय कुमार, विशेष सचिव)

15. श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर द्वारा विभाग में कार्यरत सभी डाटा इंट्री ऑपरेटरों की कार्य दक्षता हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में टाईपिंग गति की जाँच, MS Excel की जानकारी एवं Internet की जानकारी की जाँच परीक्षा दिनांक 23.02.2019 को आयोजित की गयी है, जिसका परिणाम अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि उक्त जाँच परीक्षा का परिणाम 2 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाय।
(अनुपालन :— श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर)

16. पिछली बैठक में संबंधित सभी योजनाओं, जिसके कार्यान्वयन हेतु PMC/PMU गठित है, उनके नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि कंसल्टेंट / एजेंसी द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों का साप्ताहिक रूप से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु एक पेज में प्रपत्र का प्रारूप 02 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से तैयार किया जाय। उक्त प्रपत्र में पिछले सप्ताह तक कितना कार्य हुआ और इस सप्ताह में कितने कार्य हुए, यह अंकित हो। उक्त निर्देश के आलोक में अभी तक यह प्रपत्र नमामि गंगे योजना एवं SLPMU के लिए तैयार हो पाया है, लेकिन NULM, HFA, MIS, AMRUT एवं SBM के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाया है।

निर्देश दिया गया कि NULM, HFA एवं MIS **के लि यह प्रपत्र श्री विनोदानंद झा, उप निदेशक,** AMRUT के लिए **श्री अनिल कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता** तथा SBM के लिए **श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०पदा०** द्वारा तैयार की जाएगी और इस प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के अवलोकन हेतु भेजा जाएगा।
(अनुपालन :— सभी संबंधित पदाधिकारी)

17. संबंधित सभी योजनाओं में कार्यरत कंसल्टेंट/एजेंसी के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा संपादित कार्यों के evaluation/deliverable के लिए भी प्रपत्र तैयार किया जाएगा और कार्यों के evaluation हेतु Evaluation Committee का गठन किया जाय। Evaluation Committee द्वारा कंसल्टेंट/एजेंसी के कार्यों के evaluation एवं अनुशंसा के उपरांत ही भुगतान हेतु संचिका उपस्थापित की जाएगी।

(अनुपालन :— संबंधित योजनाओं के प्रभारी पदा०)

18. सभी परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह में 2–3 दिन अपने आवंटित प्रमंडल के नगर निकायों में अनिवार्य रूप से भ्रमण कर योजनाओं का अनुश्रवण करेंगे और योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों का विभाग से समन्वय करके निराकरण कराएंगे तथा भ्रमण का प्रतिवेदन अपने संबद्ध वरीय पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। वरीय पदाधिकारी नियमित रूप से परियोजना पदाधिकारी–सह–उप निदेशक के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे। **(अनुपालन :— सभी परियोजना पदाधिकारी)**

19. श्री भरत झा, निदेशक नगरपालिका प्रशासन एवं श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता की सेवानिवृत्ति तथा श्री भवानी नंदन, मुख्य अभियंता का बुडको में स्थानांतरण के आलोक में इन्हें आवंटित जिले का प्रभार इनके स्थान पर अन्य विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं को देने हेतु संचिका में आज ही प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय। **(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी–1)**

20. जिले के सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने आवंटित जिले के नगर निकायों में पॉलिथीन बैन का अनुश्रवण करें और इसका शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

(अनुपालन :— जिले के सभी नोडल पदाधिकारी)

21. कोर्ट केस के सभी मामलों यथा कोर्ट केस का पत्र संबंधित प्रशाखा को कब भेजा गया है, किन मामलों में SOF दायर हो चुका है, कितने मामलों का निष्पादन हो चुका है आदि का कम्प्यूटराईज्ड प्रतिवेदन तैयार किया जाय और इसे अनवरत रूप से अद्यतनीकरण किया जाय। **(अनुपालन :— प्रशाखा पदाधिकारी–8)**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/2/2019

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1368 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 01/03/19

प्रतिलिपि :— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी परियोजना पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/Team Leader, SPMG/Team Leader, AMRUT/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/2019

प्रधान सचिव